तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जारी
27/1/26	पत्रावली पेश हुई प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। निस्तारित निर्णय प्रकरण में निगरानी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] मौजा गुमान सिंह जोधा के [illegible] फैसला [illegible] उठाए की [illegible] की प्रति तहसीलदार, को पालनार्थ भिजवाई जावे [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:06:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना (आर.ए.एस)

मु0 / न0	किस्म मुकदमा	तारीख रजू	तारीख फैसला
31 / 25	128 एलआर एक्ट	30.5.2025	27.01.2026

उनवान

1. हरि पुत्र बाबूलाल उम्र 52 साल
2. पप्पू पुत्र बाबूलाल उम्र 50 साल
3. विनोद पुत्र बाबूलाल उम्र 45 साल
4. जितेन्द्र पुत्र बाबूलाल उम्र 40 साल
5. गुडडी उर्फ गीता पुत्री बाबूलाल उम्र 47 साल
6. शारदा पुत्री बाबूलाल उम्र 42 साल

सभी जाति हरिजन निवासी धोरेरा तहसील करौली जिला करौली राज0

--प्रार्थीयान

बनाम

1. हरीलाल आयु 50 साल
2. धर्मसिंह आयु 38 साल

पुत्रान रामधन

3. प्यारवाई उम्र 40 साल
4. काडी उम्र 38 साल
5. लाली उर्फ कमलेशी आयु 35 साल

पिसरान रामधन

6. रणजीता आयु 60 साल
7. चरण उम्र 52 साल
8. हल्के उम्र 35 साल

पिसरान मंगल

सभी जाति मीनागण निवासीयान धोरेरा तहसील करौली जिला करौली राज0

9. राजूलाल पुत्र सोनपाल उम्र 50 साल
10. बत्तीलाल पुत्र हरिचरण उम्र 60 साल
11. बृजू पुत्र हरिचरण उम्र 45 साल
12. महेन्द्र आयु 22 साल पुत्र छोटे
13. विजेन्द्र आयु 20 साल पुत्र छोटे
14. मोहनवाई उम्र 19 साल पुत्री छोटे

जाति मीनागण निवासी धोरेरा तहसील करौली जिला करौली राज0

15. सुरेशी पत्नी स्व0 छोटे उम्र 45 साल जाति मीना निवासी धोरेरा तहसील व जिला करौली राज0
16. मोतीलाल पुत्र गुलाब उम्र 70 साल
17. चतरी आयु 55 साल पुत्री गुलाब
18. सावृती आयु 50 साल पुत्री गुलाब

सभी जाति मीना निवासीयान धोरेरा तहसील व जिला करौली राज0

19. जगदीश आयु 50 साल पुत्र जयलाल
20. शत्रुधन आयु 35 साल पुत्र जयलाल
21. राजपाल आयु 30 साल पुत्र जयलाल
22. विधादेवी पुत्री जयलाल उम्र 40 साल
23. चन्दरवाई बेवा जयलाल उम्र 75 साल

सभी जाति मीना निवासीयान धोरेरा तहसील व जिला करौली राज0

24. रामगिलास आयु 75 साल पुत्र नानगा
25. प्रहलाद पुत्र नानगा उम्र 72 साल
26. मुरारी पुत्र लुक्की आयु 60 साल
27. रामहंस पुत्र लुक्की आयु 52 साल
28. हरिचरण पुत्र मिश्रा उम्र 60 साल
29. कमरसिंह पुत्र मिश्रया उम्र 55 साल
30. हल्कीवेवा मिश्रया उम्र 80 साल
31. ठण्डी पुत्र धर्मपाल
32. भरोसी पुत्री धर्मपाल आयु साल
33. रमेश आयु 75 साल
34. रामचरण उम्र 72 साल पुत्र देवलाल
35. किलान उम्र 70 साल पुत्र देवलाल
36. किलानी पुत्री देवलाल उम्र 65 साल

जाति मीनागण निवासीयान धोरेरा तहसील करौली राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.04 13:06:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

37. पवन उम्र 20 साल
38. अमरलाल उम्र 18 साल } पुत्रान लखन
39. लखनवाई पत्नी स्व0 लखन उम्र 50 साल

जति मीनागण निवासीयान धोरेरा तहसील करौली जिला करौली राज0

40–सरकार जरिए– तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली राज0

--अप्रार्थीगण

–::निर्णय::– दिनांक:–27.01.26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की जैरखाता व कब्जा की आराजी खसरा नंबर 353/3 वाके ग्राम लौहर्रा पटवार हल्का लौहर्रा तहसील करौली जिला करौली में स्थित है जो हमारे कब्जा काश्त खातेदारी में रही है। हम प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात नंबर 353/3 से मिली हुई गैरसायलान की भूमि आराजयात खसरा नंबर 374–376–375–373–372–370 वाके ग्राम लौहर्रा पटवार हल्का लौहर्रा तहसील करौली जिला करौली राज0. में स्थित है। अप्रार्थीगण के ये खसरा नंबरान हम प्रार्थीगण के खसरा नंबर 353/3 के वारिज व पूरव में पडते है तथा सीमाएं हमारी नम्बरसे भिडी हुई है। अप्रार्थीगण आदतन लडाकू सहजोर व ताकतवर है इलाके में इनकी जाति का बाहुल्य है इस कारण हर प्रकार से पैसे वाले व ताकतवर होने के कारण हम प्रार्थीगण का तंगव परेशान करते रहते है तथा वेजा तौर की मुकदमा बाजीयो हमारे साथ इख्तियार करते है इन्होने अपवनी दादागिरी के बल पर हमारी उक्त आराजी में अनाधिकार ट्रेस पास कर सीमा को तोडकर आये दिन प्रवेश करते रहते है तथा हमारी फसलो को नष्ट कर देते हैं। वरसात का समय नजदीक है हमें इसी प्रकार यदि अप्रार्थीगण हमारी जमीन की तोडफोड कर नष्ट कर तंग व परेशान कर डौल मेड के झगडे में डालकर हमें फसलों के लाभ से महरूम करते रहे तो हमे भारी नुकसान का सामना करना पडेगा। दिनांक 23–[illegible] को अप्रार्थीगण मौके पर आये और हमसे ये कहा कि अबकी तुम्हारे पूरे नम्बर में [illegible] जोतेगे, बोयेगे ये जमीन हमारी खातेदारी में आ रही है। हम प्रार्थीगण ने [illegible] हाथाजोडी की और कहा कि हमारा नम्बरअलग है तुम्हारा नम्बर अलग है [illegible] गरीब है कमजोर है राजी से मौके परननपती करा लेते है तो विपक्षीगण तैयार नही हुये तथा झगडे पर आमादा हो गये। इस कारण मौके पर जरिये तहसीलदार करौली के द्वारा खसरा नंबर 353/3 जिससे विपक्षीगण के नम्बरान एकदम भिडे हुये है के बीच नापा कराते हुये मोके पर पत्थरगढी कराया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। जिससे भविष्य में झगडे की नौबत ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:06:37 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
करौली (राज0)

आये और पक्षकारान के बीच सीमा का विवाद पैदा नही हो सकें। श्रीमानजी को मौके पर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि एवं विपक्षीगण हमारी खातेदारी भूमि से भिडी हुई भूमियों की नाप कराते हुये पत्थर गढी कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। अंत में पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामील रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 की वाद तामील रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 33 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 353/3 का ग्राम लौहर्रा पटवार हल्का लौहर्रा तहसील व जिला करौली में स्थित होना स्वीकार है बकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही है। भूमि पर प्रार्थीयान का कोई कब्जा काश्त नही है कब्जा काश्त पचासों वर्ष से जवाब–दारान अप्रार्थीगण का है प्रार्थीयान ने कब्जा होना गलत दर्ज किया है। आराजी खसरा नं0 353/3 एव खसरा नंबर 374,376,375,373,372,370 ग्राम लौहर्रा का मिली हुयी भूमि होना खसरा नम्बर 353/3 के अलावा शेष आराजीयात अप्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे की होना सीमा भिडी होना स्वीकार है बकिया इबारत जिस तोर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही है प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 353/3 पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है अप्रार्थीगण आदतन लडाकू सहजोर व ताकतवर नही है कोई जाति बाहुल्य नही है ग्राम लौहर्रा में सभी छत्तीस विरादरी निवासी करती है खसरा नं 353/3 के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली [illegible] प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी हरि वगै0 [illegible] रखे है अभी विचाराधीन है तब बेजा तौर की मुकदमें [illegible] करते रहने का कोई प्रश्न नही है खसरा नं0 353/3 की कोई सीमाबं[illegible] नही हो रही है कोई मेढ डोल नही है प्रार्थीयान का भूमि पर कब्जा काश्त नही है भूमि पर कब्जा काश्त जवाबदारान अप्रार्थीगण है जो पचासों वर्षों से निरंतर चला आ रहा है प्रार्थीयान ने भूमि में कभी भी फसल काश्त नही की है तब अप्रार्थीयान द्वारा नष्ट करने का कोई प्रश्न पैदा नही होता है। नाही डोलमेढ को तोडने का प्रश्न पैदा होता है प्रार्थीयान ने यह समस्त तथ्य असत्य दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:06:37 IST
Reason: SelfAttested

किये है प्रार्थीयान आवेदन की आड में अप्रार्थीयान के कब्जे को छीनने पर आमादा है जिसका प्रार्थीयान को कोई विधिक अधिकारी प्राप्त नही है। जब भूमि की कोई डोल मेढ ही नही है तब तोड फोड करने का नष्ट करने का प्रश्न पैदा नही होता है प्रार्थीयान का कोई कब्जा काश्त नही है जब फसल लाभ से महरूम करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है दिनांक 23/05/2025 को प्रार्थीगण मौके पर नही गये है प्रार्थीगण स्थायी तौर पर कैलादेवी में निवासी करते है। दिनांक 23/05/2025 को अप्रार्थीयान का आराजी में घुसकर जोत बोने की कहने का प्रश्न ही नही है क्योंकि अप्रार्थीयान का भूमि पर पचासो वर्ष से कब्जा काश्त चला आ रहा है कोई झगडा प्रार्थीयान व अप्रार्थीयान के मध्य नही है विवाद मात्र कब्जे का है प्रार्थीयान का भूमि पर कब्जा नही है प्रार्थीयान अप्रार्थीयान को पत्थर गढी के बहाने जबरन बेदखल कराना चाहते है जिसका प्रार्थीयान को विधिक अधिकार नही है प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान खारिज किये जाने योग्य है। समस्त आराजीयात दर्ज प्रार्थना पत्र का भिडी हुई एकचक होना स्वीकार है बकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही है प्रार्थीयान न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली मे विचाराधीन बाद में अंतिम निर्णय तक कोई पत्थरगढी कराने के अधिकारी नही है उभय पक्ष के हक हकूक मूल बाद में तय होने हे इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत 2075–78 से भूमि प्रार्थीयान की खातेदारी व कब्जे की होना एवं वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीयान व अप्रार्थीयान के मध्य सीमा विवाद होना प्रकट होता है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अप्रार्थीयान द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है जिससे भूमि उनके [illegible] की हो। प्रार्थीयान अपनी भूमि की पत्थरगढी सीमांकन [illegible] प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:06:37 IST
Reason: SelfAttested

—::आदेश::—

प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम लोहर्रा तहसील व जिला करौली में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 383/3 रकबा 5 बीघा की पत्थरगढ़ी, बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए तहसीलदार, करौली को 1500/—रूपये फीस पर कमिशनर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। तहसीलदार, करौली सभी पडौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र के समय एवं तिथि सूचित करेंगे। मौके पर खडी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर सीमांकन कर पत्थरगढी किऐ जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, करौली को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:06:37 IST
Reason: SelfAttested